

20/10/20

रेस्को. द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रार्थना पत्र पर
 पत्रावली किया गया है। रेस्को से प्रार्थना
 पत्र पर निवेदन किया कि प्ररवण से
 संकाशन मूल बाद 18/12/2012 परिये बिस्को
 खासिण ले चुका है, जिससे कारण उक्त
 अपील प्रकाशन ले चुकी है। अतः
 पत्रावली सारहीन होने से खासिण फरमाई
 जाने।

Sajin Dae
 2

रेस्को. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का भिन्नोक्त
 किया गया। रेस्को. द्वारा मूल बाद से निर्णय
 से प्रति प्रस्तुत की है। मूल बाद से निर्णय
 होने से उक्त अपील प्रकाशन ले चुकी
 है। अतः मूल बाद से निर्णय होने से
 उक्त अपील सारहीन होने से खासिण भी
 जाने है। उक्त अपील खासिण होने से सम्बन्ध
 अदालत खासिण किया जाता है। पत्रावली फरमाई
 अन्तर होना बाद अन्तर कार्यवाही
 खासिण दफ्तर है।


 राजेश कुमार प्राधिकारी
 पाली